"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के पेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 जून 2011—ज्येष्ठ 23, शक 1933

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-21/2010/32.—छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) सहपठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. 308, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 26 के उप-नियम (9) (क) के उप-खण्ड (घ) में, शब्द एवं अंक "1 हेक्टेयर" के स्थान पर तथा नियम 26 के उप-नियम (9) (क) के उप-खण्ड (ङ) में, शब्द एवं अंक "1 हेक्टेयर" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "2 हेक्टेयर" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 26 के उप-नियम (9) (ख) के उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् ;—

"(क) सभी भवनों चाहे वे किसी भी आकार एवं ऊंचाई के हो, की अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं."

3. नियम 26 के उप-नियम (9) (ग) के उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् ;—

"(क) सभी भवनों चाहे वे किसी भी आकार एवं ऊंचाई के हो, की अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं."

4. नियम 26 के उप-नियम (9) (ङ) के उप-खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् ;—

"**टीप :**—तथापि, 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के विकास अनुज्ञा हेतु, भूमि अभिन्यास के लिये लैण्डस्केप आर्किटेक्ट को भी सहबद्ध किया जायेगा एवं, मार्ग, जल-आपूर्ति, सिवरेज/ड्रेनेज विद्युतीकरण इत्यादि, भूमि विकास अधोसंरचनात्मक सेवाओं के लिए जनोपयोगी सेवाओं हेतु पंजीकृत इंजीनियरों को सहबद्ध किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2011

क्रमांक एफ 7-21/2011/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

Raipur, the 13th June 2011

NOTIFICATION

No. F 1-21/2010/32.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of the Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. 308, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub-clause (d) of sub-rule (9) (A) of Rule 26, for the word and figure "1 hec" and in sub-clause (e) of sub-rule (9) (A) of Rule 26 for the word and figure "1 hectare", the word and figure "2 hectare" shall be substituted respectively.

2. For sub-clause (a) of sub-rule (9) (B) of Rule 26, the following shall be substituted, namely :—

"(a) All plans and information connected with permission for all building irrespective of size and height."

3. For sub-clause (a) of sub-rule (9) (C) of Rule 26, the following shall be substituted, namely :—

"(a) All plans and information connected with permission for all building irrespective of size and height."

4. After sub-clause (a) of sub-rule (9) (E) of Rule 26, the following shall be inserted, namely :—

"**Note** :—However, for land layouts for development permit above 5 hectare in area, landscape architect shall also be associated and for land development infrastructural services for roads, water supplies, sewerage/drainage electrification etc. the registered engineers for utility service shall be associated."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. S. BAJAJ, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.